

9/7/25 पत्रावली क्षाप पेश हुई। वकील पार्थी इप.।
मूल वाद का निस्तारण हो चुका है। मूल
वाद का निस्तारण होने से प्रार्थना पत्र क्षलगा-
ले-पलाये जाने का कोई क्षोपित्य नहीं होने
से मूल वाद के साथ-साथ प्रार्थना पत्र इसी
क्षतर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली क्षतल
शुमार होकर राखिले क्षतर हो क्षवम् नम्बर
से क्षम हो।



सहायक कलक
(SDO) बौहल

क्षणाराम

